

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग इन्दिरा सर्किल, जयपुर

क्रमांक: प.3(12)जविप्रा/आरएमएण्डसी/आर.टी.पी/2015/डी- 367


दिनांक: 28/12/2015

सार्वजनिक सूचना

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस एवं एल.आई.जी के आरक्षित 15 प्रतिशत फ्लैट्स एवं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अन्तर्गत फेज-प्रथम मॉडल-2 के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित 08 परियोजनाओं में निरस्त एवं निष्पादन हेतु उपलब्ध फ्लैट ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी-ए का विभिन्न श्रेणियों हेतु लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु दिनांक 29.12.2015 को दोपहर: 03:00 बजे प्राधिकरण के नागरिक सेवा केन्द्र में लॉटरी निकाली जावेगी। लॉटरी में सम्मिलित योजनाओं का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.jaipurjda.org पर देखा जा सकता है। अतः सभी सम्बन्धित विकासकर्ता, आवेदनकर्ता एवं इच्छुक व्यक्ति लॉटरी हेतु आमंत्रित है।

लॉटरी पश्चात् पात्र आवेदको द्वारा जविप्रा की वेबसाइट से पात्रता दस्तावेज जमा कराने का फार्म दिनांक 01.01.2016 से डाउनलोड (प्रिन्ट लेकर) जमा करवाने, आवास आवंटन एवं मांग-पत्र जारी किये जाने हेतु निम्न प्रकार जोनवार शिविर कार्यक्रम घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	जोन सं.	कुल फ्लैट	दिनांक	शिविर प्रभारी	स्थान	समय
1.	7	62	04.01.16	उपायुक्त जोन स. 7	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
2.	8	04	04.01.16	उपायुक्त जोन स. 8	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
3.	11	157	05.01.16 06.01.16	उपायुक्त जोन स. 11	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
4.	12	17	07.01.16	उपायुक्त जोन स. 12	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
5.	15	22	07.01.16	उपायुक्त जोन स. 15	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
6.	9	100	06.01.16 07.01.16	उपायुक्त जोन स. 9	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
7.	12ए	50	06.01.16	उपायुक्त जोन स. 12ए	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
8.	14	155	11.01.16 12.01.16	उपायुक्त जोन स. 14	जविप्रा जन सुनवाई केन्द्र	प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक
9.	योग	567				


(पवन अरोडा)
सचिव